

प्रेषक,

राधे श्याम मिश्र,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
फिरोजाबाद, बरेली, बस्ती, मऊ, मीरजापुर, बलिया, आगरा, सीतापुर, हरदोई, प्रयागराज,
गोरखपुर, मथुरा एवं बागपत।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 25 जनवरी, 2019

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित असहाय एवं कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2018-19 में अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के दृष्टिगत निराश्रित असहाय एवं कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों को राहत पहुँचाने के लिए धनावंटन हेतु एमएचए के पत्र सं0-32-7/2014-एनडीएम-1, दि0: 08.04.2015 द्वारा जारी गाईड लाइन के आइटम नं0-3(क) के प्राविधान-प्रोविजन फार टेम्परोरी एकोमोडेशन, फूड, क्वोथिंग मेडीकल केयर, इटीसी फार पीपुल अफेक्टेड इवैकुवेशन, शेल्टर्ड इन रिलीफ कैम्प के अनुसार गृह विहीन/ निराश्रित/ असहाय एवं कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव हेतु **रू0 2,78,44,750/- (रूपये दो करोड़ अट्ठहत्तर लाख चौवलीस हजार सात सौ पचास मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रम	जनपद क नाम पत्रांक/दिनांक:	कम्बल क्रय किए जाने हेतु स्वीकृत धनराशि (रूपये मे)	अलाव जलाये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि (रूपये मे)	जनपद हेतु स्वीकृत कुल धनराशि (रूपये मे)
1	2	3	4	5
1	फिरोजाबाद, पत्रांक: 1331, दि0: 15.01.2019	25,00,000	---	25,00,000
2	बरेली, पत्रांक: 615, दि0: 11.01.2019	30,00,000	3,00,000	33,00,000

3	बस्ती, पत्रांक: 3314, दि०: 11.01.2019	1,50,000	90,000	02,40,000
4	मऊ, पत्रांक: 1021, दि०: 11.01.2019	20,00,000	2,00,000	22,00,000
5	मीरजापुर, पत्रांक: 179, दि०: 10.01.2019	16,60,000	2,00,000	18,60,000
6	बलिया, पत्रांक: 320, दि०: 15.01.2019	---	---	4,00,000
7	आगरा, पत्रांक: 50, दि०: 19.01.2019	17,52,000	---	17,52,000
8	सीतापुर, पत्रांक: 198, दि०: 10.01.2019	35,00,000	---	35,00,000
9	हरदोई, पत्रांक: 1981, दि०: 17.01.2019	17,12,750	---	17,12,750
10	प्रयागराज, पत्रांक: 1416, दि०: 19.01.2019	40,00,000	4,00,000	44,00,000
11	गोरखपुर, पत्रांक: 512, दि०: 09.01.2019	35,00,000	3,50,000	38,50,000
12	मथुरा, पत्रांक: 1944, दि०: 21.01.2019	13,08,000	---	13,08,000
13	बागपत, पत्रांक: 2509, दि०: 21.01.2019	8,22,000	---	8,22,000
कुल योग		2,59,04,750	15,40,000	2,78,44,750
(रूपये दो करोड अट्टहत्तर लाख चौवलीस हजार सात सौ पचास मात्र)				

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय व्ययक के अनुदान सं०-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय-08-शीतलहरी/पाला हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- शासनादेश संख्या-3271/एक-10-2018-12(34)/03 टीसी-1, दिनांक: 19.11.2018 में उल्लिखित शर्तें यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(राधे श्याम मिश्र),
विशेष सचिव ।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० प्रयागराज ।
- 2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त उ०प्र०।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ ।
- 4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, उ०प्र०।
- 5- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।
- 6- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राधे श्याम मिश्र),
विशेष सचिव ।